समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–49 / 2023

उपस्थित

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– न्यायमूर्ति श्री आर0सी0 खुल्बे, अध्यक्ष, उत्तराखंड भू–संपदा अपीलीय अधिकरण, देहरादून।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक–31 / 07 / 2023
निर्णय का दिनांक– 18 / 09 / 2023

:: निर्णय ::

परिवादी न्यायमूर्ति श्री आर0सी0 खुल्बे, अध्यक्ष, उत्तराखंड भू–संपदा अपीलीय अधिकरण, देहरादून का प्रार्थना पत्र दिनांक 31 / 07 / 2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–UK11204001005 से संबंधित है। परिवादी का कहना है कि वह दिनांक–02 / 07 / 2010 से दिनांक–01 / 05 / 2013 तक जिला जज उत्तरकाशी के पद पर कार्यरत रहे। इस अवधि में उनके द्वारा जो विद्युत का उपभोग किया गया, उसका बिल उन्हें कभी प्राप्त नहीं कराया गया। कुछ दिन पूर्व विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता और जिला न्यायालय उत्तरकाशी द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि उपरोक्त अवधि में उनके द्वारा उपभोग की गई विद्युत का कुल मूल्य रूपये 32,112.00 (बत्तीस हजार एक सौ बारह) है। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त बिल में उनसे पहले की अवधि के अनपेड बिलां का सरचार्ज शामिल है। परिवादी का कहना है कि पहले के अनपेड बिलों का सरचार्ज उनके बिलों में शामिल किया जाना और उनके कार्यरत रहते हुए बिल प्राप्त न कराने के कारण सरचार्ज की देयता किसी भी प्रकार से उन पर नहीं बनती है। परिवादी ने उक्त सरचार्ज की धनराशि घटाते हुए संशोधित बिल उपलब्ध कराने का मंच से अनुरोध किया है।

बिपिन बनियाल 18/09/23
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

18/09/23
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 18/09/23
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा दिनांक–31/07/2023 को ही अधिशासी अभियंता मनोज गुसाईं को संबंधित शिकायत के संबंध में साक्ष्य/सुबूत, उक्त अवधि के बिलों की प्राप्ति रजिस्टर, रसदी उपलब्ध कराने के लिए आदेशित किया गया। विपक्षी विभाग को पत्रांक 119/2023/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक–31/07/2023 के मार्फत नोटिस दिया गया और दिनांक–14/08/2023 तक आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक–550/वि0वि0उ0ख0उ/दिनांक–10/08/2023 के मार्फत आख्या मंच के सम्मुख पेश की गई। मंच को जानकारी दी गई कि न्यायमूर्ति श्री आरसी खुल्बे के कार्यकाल में आवासीय परिसर में रहते हुए दिनांक–02/07/2010 से 01/05/2013 तक का कुल विद्युत 4292 यूनिट का उपभोग किया गया, जिसकी कुल धनराशि रूपये 30,988.00 (सरचार्ज रूपये 19804.6 + बिल की धनराशि रूपये 11183.78) का बिल पुनः संशोधित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त संशोधित बिल में जो सरचार्ज लगाया गया है, वो इनकी कुल विद्युत खपत की धनराशि रूपये 11,183.78 पर ही लगाया गया है, जो कि इनकी कार्य अवधि से संबंधित है।

इस परिवाद की सुनवाई दिनांक–31/07/2023, 14/08/2023, 28/08/2023 और दिनांक–18/09/2023 को की गई। परिवादी न्यायमूर्ति श्री आरसी खुल्बे ने फोन पर अपना पक्ष रखा, जबकि विपक्षी विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता मनोज गुसाईं, उपखंड अधिकारी आयुष रावत, एस0डी0सी0 विनोद चौहान उपस्थित हुए। दिनांक–28/08/2023 की सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग द्वारा मंच के सम्मुख विस्तृत संशोधित बिल पेश किया गया, जिसे व्हाट्सअप के माध्यम से न्यायमूर्ति श्री आरसी खुल्बे को प्रेषित किया गया। संशोधित बिल पर न्यायमूर्ति द्वारा सहमति प्रकट की गई। दिनांक–18/09/2023 की सुनवाई के दौरान मंच को जानकारी दी गई कि परिवादी की ओर संशोधित बिल का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान रूपये 30, 893.00 (तीस हजार आठ सौ तिरानवे) का किया गया है। मंच के सम्मुख भुगतान की रसीद संख्या–11/दिनांक–28/08/2023/भुगतान की गई राशि–रूपये 30,893.00 भी प्रस्तुत की गई।

18/09/23
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत

18/9/23
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत

18/09/23
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग की ओर से परिवादी का बिल संशोधित कर दिया गया है। इस पर सहमति जताते हुए परिवादी द्वारा इसका भुगतान भी कर दिया गया है। इस तरह शिकायत का निस्तारण कर लिया गया है।

:: <u>आदेश</u> ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

18/09/23
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

18/09/23
(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 18/09/23
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विधुत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी